14.5.18 पत्रावली आज कोर्ट कैम्प बड़ागांव में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम कैमलीपुरा के भूमि ख.नं. 270 वादी की खातेदारी अंकित है प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 16.12.15 को दायर किया गया था परंतु प्रस्तुत वादपत्र तामील में ही विचाराधीन चल रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी प्रस्तुत वाद पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। लगभग तीन वर्ष व्यतीत होने पर पर भी वादी की भूमि में शान्ति जिसके बाबत कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है वादी का वाद पत्र आधारहीन होने के खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इन्द्राज के काम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5.18 को कैम्प कोर्ट बड़ागांव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)